

कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रांक: 624 /नाजिर/कले0 परि0-साईकिल/मो0 साइ0-नीलामी/2021

दिनांक 03 मार्च, 2021

नीलामी सूचना

कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड की नीलामी वित्तीय वर्ष 2021-2022 (01.04.2021 से 31.03.2022) के लिये निम्नलिखित शर्तों के अनुसार की जानी है:-

01- साईकिल/मोटर साईकिल की नीलामी में रू0- 10,000.00 (रूपये दस हजार) मात्र की धरोहर धनराशि बोलीदाताओं द्वारा नीलामी कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व जमा करनी होगी। (कैश अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में)

02- नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को चरित्र प्रमाण-पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र रूपये एक लाख का प्रस्तुत करना होगा।

03- नीलामी के तुरन्त बाद अधिकतम बोलीदाता को बोली का 1/4 भाग धनराशि तुरन्त जमा करना होगा। शेष 3/4 भाग धनराशि माह जून, 2021 तक जमा करना होगा। धनराशि न जमा कर पाने की स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा दूसरे स्थान वाले बोलीदाता को अवसर दिया जायेगा।

04- साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड की सुरक्षा की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं सुनिश्चित करना होगा।

05- साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड का परिसर "धुम्रपान निषेध" स्थल होगा। अर्थात् न तो संचालक व उनके कर्मचारी धुम्रपान करेंगे और न ही ग्राहक परिसर में धुम्रपान करेंगे। यदि इस संबंध में कोई उल्लंघन करते पाया जाता है तो संचालक सीधे रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

06- साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड प्रातः 09:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक खुला रहेगा।

07- साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड पर प्रति साईकिल दो रूपये प्रति मोटर साईकिल पांच रूपये एवं चार पहिया वाहन के दस रूपये से अधिक वसूली नहीं की जायेगी।

08- स्टैण्ड से साईकिल व मोटर साईकिल गायब होने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

09- साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड संचालक व उसके कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे पूर्व में कभी भी अपराधिक गतिविधियों में न तो संलग्न हुये हैं और न ही भविष्य में होंगे।

10- साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड संचालक किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से नीचे के उम्र वाले लड़कों को कार्य में संलग्न नहीं करेगा।

11- साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड संचालक लेबर एक्ट व अन्य संबंधित नियमों/दिशा निर्देशों/शासनादेशों का कड़ाई से पालन करेगा।

12- साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड संचालक स्टैण्ड परिसर में बिजली उपभोग के लिये अलग से एक विद्युत कनेक्शन लेकर मीटर स्थापित करायेगा।

13- यह नीलामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के दिनांक 31-03-2022 तक प्रभावी होगी।

14- नीलामी बोली की स्वीकृति/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी महोदय का होगा।

15- ऊपर क्रमांक 01 से 14 में वर्णित शर्तों की उल्लंघन में साईकिल/मोटर साईकिल स्टैण्ड संचालक या/अन्य संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी जिसका परिणाम जमानत राशि व नीलामी राशि जब्त करना, कार्य/सेवा का निरस्तीकरण, कानूनी कार्यवाही आदि हो सकेगी। इसके लिये जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी विहित प्राधिकारी होंगे।

नीलामी अधिकारी/
अपर जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:

निम्नलिखित का सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
02. तहसीलदार, अकबरपुर/टाण्डा/जलालपुर/आलापुर/भीटी, अम्बेडकरनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
03. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अकबरपुर/टाण्डा/जलालपुर/एवं नगर पंचायत, इल्लिफातगंज/किछौछा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
04. जिला सूचनाधिकारी, अम्बेडकरनगर को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को दो स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराते हुये समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
05. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कलेक्ट्रेट अम्बेडकरनगर को इस आशय से प्रेषित कि इसे <http://ambedkar.nagar.nic.in> पर अविलम्ब प्रकाशित करने का कष्ट करें।
06. नाजिर, कलेक्ट्रेट, अम्बेडकरनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
07. नाजिर, विकास भवन, अम्बेडकरनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

नीलामी अधिकारी/
अपर जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर।